27.10.2025 वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित।
न्यायालय समय की समाप्ति तक प्रत्यावर्तन
समय में तीन बार आवाजें दिलवाई गई।
लेकिन वकील या प्रार्थीगण में से
कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा
प्रार्थीगण का आवेदन आदेश 9 R 9 व
आदेश 17 R 3 में खारिज किया जाता है।
पत्रावली कैवेट मुताबिक बेकार
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा